


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत (i) श्री फुलजेंस तिग्गा पिता- पौलुस तिग्गा (ii) श्रीमती अनुपा खलखो पति फुलजेंस तिग्गा एवं (iii) श्री विष्णुदेव उराँव पिता लालजी उराँव (इलिप्रफुलीत तिग्गा के पति), ग्राम- ठेठांगी एवं कल्यानपुर, थाना- टंडवा, जिला- चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत थाना सं. 84, ग्राम- ठेठांगी, (वनपट्टा) खाता सं.1 के अधीन प्लॉटसं.- 60: 2.50 एकड़, 60: 02.00 एकड़, 60/5: 1.38 एकड़ एवं ग्राम: सिदालू (रैयतीभूमि) खाता सं.-10 के अधीन प्लॉटसं.- 73: 0.12 एकड़, कुलरकबा: -6.00 एकड़ (वनपट्टा एवं रैयतीभूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (पिपरवार), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
1.4.24